EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 112] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 1973/CHAITRA 7, 1895

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
11. No meat food product shall contain any poisonous element specified in column (2) of the Table below, in excess of the quantity specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

**The Table**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl. No.</th>
<th>Name of the poisonous metal</th>
<th>Parts per million by weight</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Lead</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Copper</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Arsenic</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Tin</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Zinc</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[F. No. 18-38/63-LDT.]

V. K. MALIK,
Director {Animal Husbandry).

कुषा नंसालव
(कुषा विभाग)
मोहर ववल विनायक गांव, 1973

नई दिल्ली, 28 मार्च 1973

एवो पीरो 176(ख)­—प्रस्ताव पत्रो प्रकाशितम, 1955 (1955 का 16) के घारा 3 घरा पदत सत्कारक, इटलियारा निर्माण अधिकार घोषित हैं, हालाँकि—
1. संक्षिप्त नाम और प्राथमिक :—(1) इस घोषण का नाम मांस खाल उत्पाद घोषण, 1973 होगा.
(2) इस नाम अधिक सम्बन्धित होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राज्य में अधिकृत द्वारा नियम दर्ज करें।

2. परिप्रेक्ष्य एवं—इस घोषण में, जब तक कि संदर्भ में अभिसंपदित म न हो—
(क) “पशु” या ऐशा पशु अभिसंपदित हैं जो नीचे विस्तारित किसी जाति का हों—
(i) भेड़ जैसे;
(ii) बकरा जैसे;
(iii) बोहर जैसे;
(iv) गो जैसे;
प्रारंभिक अवर्त पशु रहें।
(ख) “पशु-शेष” ने भूत शरीर या उसका कोई भाग प्रभित्रि है, जिसके पशुकंत में एसे पशु की प्रतीक्षा भी है जिसका वध किया गया है;

(ग) “समिति” ने खंड 3 के प्रमुख गठबंधन की गई मानस खाद्य उत्पाद मनाहकार समिति प्रभित्रि है;

(घ) “कार्यालय” से भानी प्रशीनाथों सहित कोई ऐसा परिचार भ्रष्टित है जिसमें भानस खाद्य उत्पाद को विक्रय के लिए वितरित या पैक किया जाता है;

(ङ) “अनुकूलितहरी” से ऐसा विनिमय क्रिया प्रभित्रि है जिसे इस आदेश के प्रवीन अनुकूलित नंगर की गई है;

(च) “अनुमानित प्रधानिकारी” से भारत सरकार का क्रिया विस्मय मनाहकार भ्रष्टित है और इसके पशुपति केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमानित से उसके द्वारा इस विनिमय प्रधानिकारी कोई प्राय विद्यार्थी भी है;

(छ) “स्मारकी प्रधानिकारी” से व्यक्तियाँ, समिति, नियम, वार्तालाप, प्रविधिमूलक विशेष समिति या अन्य ऐसा प्रधानिकारी प्रभित्रि है जिसे भारतीय स्वास्थ्य विभाग में अध्यायों के विनिमय कोई प्राय विद्यार्थी भी है;

(ट) “विनिमय” से ऐसा व्यक्ति प्रभित्रि है, जो विक्रय के लिए, मानस खाद्य उत्पाद के विनिमय या पैक करने के कार्यालय में लगा हुआ है; किन्तु उसके प्रतिकार ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसे उत्पादों का विक्रय किया रहता है.

(ज) “मांड” में पशुकंत के पोशाक और इसके भाग खाने योग्य भाग प्रभित्रि है;

(झ) “मांड खाद्य उत्पाद निरीक्षक” से भीजन की कोई बस्तु या कोई ऐसे बस्तु प्रभित्रि है जो भीजन के भाग में प्रवीि लिए भाविपि है या उसके योग्य है जो मांड को सिराजक, सांसदाधिकार, भूमिपित करके, पुराना पकने, पकाना, मक्ख-चिपें, भीतरा नगर कर या उत्तरीक्षा किती पशुलक के प्रमुख को पान से बनाना करके कुराना या मेलार की गई है;

(ञ) “मांड खाद्य उत्पाद निरीक्षक” से अनुमोदन प्रधानिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई भारतीय पशु विशेष विद्यार्थी प्रभित्रि है और इसके प्रतिकार इस प्रधान के अधीन मांड खाद्य उत्पाद निरीक्षक के कूट्य ने पालन करने के लिए प्रधानिकारा किया गया स्वामी प्रधानि-कारी का कोई प्रधानिकारा भी है।

(ञ) “अनुमोदन” से इस आदेश के उल्लेख भानसयोग प्रभित्रि है;

(ञ) “भण्डाला” से ऐसा भवन, परिसर या स्थान प्रभित्रि है, जो स्वामी प्रधानि-कारी द्वारा मानस खाद्य उत्पाद के लिए भाण्डाला पशुयाँ के बाद के लिए व्यवसाय के स्थान में द्वारा नियुक्त किया गया है;

(ञ्ज) “भण्डाला” से कोई करेिडर या उसका भाग प्रभित्रि है।
3. समिति का गठन.—(1) यथागत विषय, इस प्रादेश के प्राधिकृत के पश्चात था उसके पश्चात प्रत्येक दो वर्ष के पनाराल पर, केंद्रीय सरकार, ऐसे प्रादेश सरकार जो राजपत में प्रकाशित किया गया है एक समिति गठित करेगी जो मांड बाय उपाधि सत्याकर्ता समिति के नाम से नाम होगी, जिसमें गठन भारत सरकार के तीन विभाग के तीन विभाग सत्याकर्ता, जो उसका प्रभाग होगा, और निरनिरियोजित मद्दत मद्दत होगा, तथा—

(क) प्रशासन बाह्य, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशित;
(ख) स्वास्थ्य-सेवा-प्रबिंदेशित, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशित;
(ग) खंडो-त्रिकाल-प्रबिंदेशित, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशित;
(घ) कार्यालय निरीक्षक, बाय और नीपक बॉर्ड, बाय नियंत्रण भारत सरकार या उसका नामनिर्देशित;

(झ) निरीक्षक, केंद्रीय बाय प्रारंभिक प्रामुख्य संस्थान, मैनपुर, या उसका नामनिर्देशित;
(ञ) राज्य सरकारों के प्रशासन विभाग या प्रशासनिक संस्थाओं के तीन विधिकारी जिन्हें केंद्रीय सरकार नामनिर्देशित करेगी;
(ञ) पुत्र के स्तरियों से से तीन विधिकारी, जिन्हें केंद्रीय सरकार नामनिर्देशित करेगी;
(ञ) इलामितायों में से दो विधिकारी, जिन्हें केंद्रीय सरकार नामनिर्देशित करेगी;
(ञ) विश्लेषण और निरीक्षण निवेदनकार का, कोई विधिकारी, जिसे प्रमुखतया प्राधिकृत नामनिर्देशित करेगा, जो समिति के सचिव के हाथ में गार्ड करेगा।

(2) समिति का सदस्य उस समय तक पर धारण करेगा, जब तक के लिए समिति गठित की गई है;

(हिंदू सदस्य, समिति के प्रचार को लिखित गूँजना देकर पाठन पर का व्याप कर सकेगा।

(3) यदि समिति के किसी सदस्य के पद मैं रिखित मूल्य या व्यापक के कारण होती है तो इस प्रकार उस रिखित नामनिर्देशित करेगी भारत सरकार और प्राक्तिक रिखित को भरने के लिए इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया जो किसी सदस्य, केंद्रीय सदस्य करके, जब तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित किया गया है, वह धारण करता।

(4) समिति के प्रविष्टिक लाल लिखित, यदि इसके भारी, समिति प्राप्ती स्थलों में किसी रिखित के होते हुए, भी, कार्य कर सकेगी।

(5) समिति इतियके कार्यप्रारंभियां का, ऐसे रूप में जिसे वह उपलब्ध समय, भिन्नभिन्न कर सकेगी, किसी तक ऐसे विषय पर जिसमें समिति के भार वराह बराबर हो, प्रचार का, या समिति के प्रविष्टिक लाल समानित करने वाले भागी का, एक हिस्से या निर्णयक मट देंगे।
(6) सभी के द्वारा कर्म होने के कारण समीचीन समस्या है, ये वह समीचीन की, भारत सरकार, जिसी भी समय विविधता कर सकेंगी और तब समय विविधता रखेंगी। सभी के द्वारा समीचीन के लिए, नामांकन या सभी व्यक्ति भारत की सार्वजनिक उपयोग में उपलब्ध न रहेंगे।

परन्तु, भारत सरकार, समीचीन के पुनर्निर्माण के लिए, उपलब्ध (1) में उपलब्ध रीति में प्रयोग भी चाहिए कर सकेंगी।

4. प्रमाणपत्र।— (1) कोई भी व्यक्ति, सिवाय यह भारत के अधिकार, उसे मंजूर की गई प्रमाणपत्र के निर्देशों के तहत शर्तों के ध्रुवीय और धनुश, विनिर्देश के हूँ में कार्य कर नहीं करेगा।

(2) प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए एक भारत के प्रमाण प्रमाण धनुशों में, उपलब्ध प्रथम "क" में किया जाएगा और उसके बाद एक विवरण चालान उस वीडियो के संदर्भ के साथ के रूप में लगाया जाएगा जो उपलब्ध (3) में विनिर्देश की गई है।

(3) इस भारत के प्रयोजनों के लिए, विनिर्देशों के तीन प्रवर्धन होंगे जो नीचे की सार्वजनिक स्तर (1) में विनिर्देश किए गए हैं और विनिर्देशों के प्रथम प्रवर्धन द्वारा संरक्षित प्रमाण प्रमाण वह होंगे जो उक्त सार्वजनिक स्तर (2) की सत्यता प्रमाण में विनिर्देश की गई है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>सार्वजनिक का प्रवर्धन</th>
<th>प्रयोजन</th>
<th>फीस</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रवर्धन 'क'—ऐसा विनिर्देश, जो केवल ऐसे पंजीयनों के मांग से मांग भारत उत्तरकार बनाता है, जिसका वह और तपाई उसके प्राप्त कार्यान्वयन में कर गई है।

100 08

प्रवर्धन 'क'—ऐसा विनिर्देश, जो केवल ऐसे पंजीयनों के मांग से मांग भारत उत्तरकार बनाता है, जिसका वह और तपाई प्रमाण प्रदान के द्वारा प्रत्ययोधित बदलाव में कर जाती है और जिसका कार्यान्वयन, ऐसा बदलाव के प्रवर्धन निकट स्थित है।

75 00

प्रवर्धन 'क'—प्रवर्धन 'क' और 'क' के विनिर्देशों के लिये विनिर्देश।

50 00
(4) प्रस्तावन प्रधानिकारी प्रत्युत्तर संज्ञाय या उसे मंजूर करने से इस्तेमाल कर सकेगा;

परंतु जहां प्रस्तावन नामंजूर कर दी गई है वहाँ प्रस्तावन प्रधानिकारी ऐसी नामंजूरी के कारणों का एक लक्ष्य का कारण प्रभावित करेगा और उसकी एक प्रति धार्मिक को देना।

(5) जहाँ कोई प्रत्युत्तर मिली ध्याण को इस खंड के प्रधान मंजूर नहीं की गई है वहाँ उसके लिए खंड पीएम उसे असंतोष कर दी जाएगी।

(6) कोई प्रत्युत्तर, जब तक वह रहता रहता निलंबित न रही, उसे वर्प के प्रन्त तक विद्यमान रहेगी जिसके द्वारा वह वारी की गई है।

5. प्रत्युत्तर का नियोजन.—(1) इस अदेश के प्रधान जारी की गई प्रत्युत्तर के नियोजन के लिए अदेश उस प्रत्युत्तर के अवसर से कम से कम सात दिन पूर्व देखी गई होगा।

(2) प्रत्युत्तर के नियोजन के लिए अदेश प्रधान प्रमुख मुख्य में उपयोगिता प्रक्रिय। "क" में दिया जाएगा और उसके साथ एक बदलाव जारी उस प्रान्त के नियोजन के लिए नियोजन के लिए मंजूर कर दी गई है।

(3) प्रत्युत्तर के नियोजन के लिए अदेश का प्रत्युत्तर के उपरांत का निरीक्षण किया जाएगा और यदि उसका निरीक्षण उस तरीके से निरीक्षण नहीं किया गया है तो यह समस्त जाएगा कि वह एक वर्ष की ध्यान पर जाएगा कर दिए गई है।

6. प्रत्युत्तर की गई—इस अदेश के प्रधान मंजूर को गई प्रत्युत्तर प्रमुख प्रमुख में उपयोगिता प्रक्रिया "ह" में दी जाएगी और वह ऐसे नियोजन अदेश जारी की गई होगी जिसके प्रधान जारी करने में प्रत्युत्तर प्रधानिकारी प्रधानिकारी करें।

7. प्रत्युत्तर का रद्द अथवा निलंबन—(1) प्रस्तावन प्रधानिकारी, प्रत्युत्तर प्रधानिकारी को प्रस्तावन का निर्बंधान ध्यान देने के प्रवर्तक, निलंबित प्रधानिकारी में से किसी एक या संयुक्त ध्यान पर किसी प्रत्युत्तर को ध्यान या निलंबित कर सकेगा, वर्तमान—

(क) कि उन जारी में से किसी का ध्यान हुआ है जिसके प्रधान प्रत्युत्तर मंजूर की गई है;

(ख) कि प्रत्युत्तर प्रधानि जारी ने इस अदेश के सभी उपरांतों या उनसे किसी का उल्लंघन किया है;

(ग) कि प्रत्युत्तर प्रधानि जारी किसी अदेश के प्रधान जारी किसी अदेश या निर्देश का प्रत्युत्तर करने में असरकर रहा है।

(2) जहाँ कोई प्रत्युत्तर उपरांत (1) के प्रधान रह या निलंबित की गई है वहाँ, प्रस्तावन प्रधानिकारी ऐसे रखकर न निलंबित के कारणों का एक लक्ष्य का कारण प्रभावित करेगा और उसकी एक हिस्सा उस प्रत्युत्तर प्रधानिकारी को देना जिसकी प्रत्युत्तर रह या निलंबित की गई है।

8. ध्यान इस खंड (4) के उपरांत (4) या खंड 7 के प्रधान प्रस्तावन प्रधानिकारी के किसी अदेश के ध्यान को प्रभावित, प्रत्युत्तर के मंजूर करने से इस्तेमाल के कारणों के
क्रम की प्रति की प्राप्ति को वापस लेने के शीर्ष दिन के भीतर केंद्रीय सरकार को उसके विनियम के लिए प्रपील कर सकेगा।

परमुँ केंद्रीय सरकार, प्रपील नामंत्रे करने का प्राधेशिक पारित करने से पूर्व, उन व्यक्तियों को, जिनका उस प्राधेशिक से प्रभावित होना संभावित है, नुकसान का युक्तिमुक्त प्रबंध देनी।

9. प्रबंधितवादी द्वारा पूरी की जाने वाली प्राप्तियाँ—(1) कोई भी प्रबंधितवादी, विवाद के प्रधान के उपर्युक्त घोर, उसके प्रबंधन, उन्हें बाँटना बाध्य उद्देश्य का विनिमय करेगा।

(2) प्रबंधितवादी द्वारा पूरी में विनिवेश स्वच्छता संबंधी घोर धन्य प्राप्तियाँ के प्रबंधन गांव बांट उद्देश्य का विनिमय करेगा।

(3) प्रबंधितवादी, जो मांस बांट उद्देश्य का विनिमय करने के प्रयोजन के लिए पूर्वकों का व्यय करता है, व्यक्ति प्रबंधन में विनिवेश स्वच्छता संबंधी घोर धन्य प्राप्तियाँ का प्रबंधन करेगा।

(4) प्रबंधितवादी, बांट उद्देश्य के प्रधान के शीर्ष दिन के पूर्व, विनिमय करने घोर उस पर लेखन लगाने की बात, वापस प्रबंधन में विनिवेश प्राप्तियाँ का प्रबंधन करेगा।

(5) उत्पादन (1), (2) और (3) में विनियम के होने हुए भी, प्रबंधन प्रस्तावक, प्रबंधितवादी द्वारा प्रबंधन की जाने वाली कोई प्रतिरूप प्राप्त, या अपने विनियम के प्रयोजन के प्रबंधन द्वारा प्रबंधितवादी का व्यय करना होगा कि वह इस प्रबंधन द्वारा प्रतिरूप प्रस्तावक के प्रबंधन करेग।

10. विनियम—प्रबंधितवादी, वह कवि के दौरान प्रणय द्वारा विनिवेश, विनिमय या विनियम द्वारा बांट उद्देश्य के प्रबंधन के रूप की बात का विनियम एक विशेष, प्रबंधन प्रस्तावक के प्रयोजन प्रबंधन में विनियम प्रक्रिया को व्यय करना होगा।

11. व्यवहारी, वापस द्वारा विनियम, प्राप्ति के बारे में प्रतिपाद—इस कोई भी व्यवहारी, जो मांस बांट उद्देश्य का व्यवहारी, विवाद या विनियम है, राजस्व में विनिमय किसी मांस बांट उद्देश्य का विनियम, या ऐसा विनियम के लिए विनिमय है, प्रदेश या प्रदेश से तक होने कर जाता है कि ऐसे मांस बांट उद्देश्य का विनिमय प्रबंधितवादी द्वारा नहीं किया जाएगा।

12. निवेदन भर्ती के क्रियारूप—प्रबंधन प्रस्तावक ऐसे विनियम भर्ती कर सकते हैं जिनके वह इस प्रबंधन के उपर्युक्त घोर के प्रयोजन के लिए उत्पादन समाप्त है।

13. विनिमय, विनियम या प्रबंधन द्वारा धन्य होगा—प्रबंधन ऐसा प्रबंधितवादी, जिसकी इस प्रबंधन के विनियम के धन्य होंगे, ऐसे विनियम का प्रबंधन करने के लिए धन्य होगा घोर ऐसे विनियम या प्रबंधन के प्रबंधन करने में विनिमय को घोर से कोई प्रमाणता इस प्रबंधन के उपर्युक्त उत्पादन समाप्त जाएगी।

14. प्रबंधन, विनियम, विनिमय प्रस्ताव की प्रक्रिया—(1) प्रबंधन प्रस्तावक या उसके द्वारा इस विनियम प्राप्तियों को प्रस्ताववादी इस प्रबंधन का प्रबंधन गुणितस्थवर करने की व्यवस्था है—

(क) किसी व्यवहार प्रस्ताव को प्रस्ताव के मांस बांट उद्देश्य के विनियम प्राप्ति द्वारा प्राप्ति की अन्वेषण की कोई प्राप्ति कर उसके प्रयोग के लिए प्रयोग कर सकेगा;

(ख) प्रक्रिया की बात के संगठन करने की व्यवस्था से कि इस प्रबंधन की प्रवेशाओं का
प्राप्तिवाद किया गया है, किसी प्राप्तिवादकर के परिसर में किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा और उनका निर्देशन कर सकेगा; और—

(i) उचित रूप से देख सिंह ऐसी मांस खाणे उपरांत का प्राप्तिवाद कर सकेगा या उसे निर्देश कर सकेगा, जो इस प्रादेश के उपबंधों के उल्लंघन में विनिमित, निराशा, पैक किये गए हैं या उन पर लेल्ला लगाये गए हैं या उनके निर्देश चिहित, पैक किये जाने या उन पर लेल्ला लगाये जाने का संदेह है; 

(ii) उचित रूप से देख रूप मांस खाणे उपरांत जयमान अन्य रूप से चिह्नित है तथा बाह्यता, दस्तावेजों, नाम, दस्तावेजों, साक्ष्य का प्राप्तिवाद कर सकेगा या उनके निर्देश कर सकेगा, जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस प्रादेश का उल्लंघन हुआ है; और 

(iii) इस प्रकार प्राप्तिवाद का निर्देश सभी मांस खाणे उपरांत या कभी मांस का उस प्रकार व्यवस्था कर सकेगा जैसा यह उचित समझा जाता है; 

(ग) प्राप्तिवादकरों को, मांस खाणे उपरांत के विनिमय और व्यवस्था से संबंधित किसी बात का निर्देशन कर सकेगा; 

(घ) ऐसे मांस खाणे उपरांत के नमूनों का संग्रह, उनका संदर्भ रखें, कर सकेगा, जो बंध और ग्रामीण या विश्वास के लिए प्राप्तिवाद है या निरन्दर किया गया है या जो विकास के प्रयोग के लिए किसी व्यवहारी, प्रवक्ता या राहत का प्रयोग किया गया है या ऐसे नमूने का विश्वास प्राप्तिवाद प्राप्तिवादकरों के द्वारा इस प्रयोग के लिए छोटी गई प्रयोगशाला में करा सकेगा; 

(ड) प्राप्तिवादकरों द्वारा, किसी ऐसे मांस खाणे उपरांत के नमूने का जो ऐसे रासायनिक, श्रृंखला, बाह्यता या किसी जैसे, उसके संग्रह, जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस प्रादेश का उल्लंघन हुआ है, प्राप्तिवादकरों के परिसर से, उचित रूप से देख निर्देश नहीं कर सकेगा; या 

(च) किसी विशिष्ट प्रादेश के ज्ञात ऐसे मांस खाणे उपरांत का विकास या विनिमय प्राप्तिवाद कर सकेगा, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस प्रादेश का उल्लंघन हुआ है।

(2) कोई भी व्यक्ति इस प्रादेश के उपबंधों के प्रदीप दिवस ऐसी जानकारी देने देखा नहीं करना जिसे बड़े देने के लिए विद्यमान है ध्यान रखना जो उससे विनिमयवाद मानी जा सकती या यह इस प्रादेश के उपबंधों के प्रकाशन करने की जीवन, जिसके बारे में यह विश्वास करने का कारण है कि इस प्रादेश के उल्लंघन हुआ है 

15. प्रमाणयोजन के लिए मंजूरी—इस प्रादेश के किसी उत्तर के उल्लंघन के लिए कोई भी प्रमाणयोजन, प्राप्तिवाद प्राप्तिवादकर की पूरे मंजूरी के बिना संरक्षित नहीं किया जाएगा।
प्रथम प्रनुमिन्य

'प्रथम 'क'

[बंद 4 (2) बोर 5(2) देखिए]

मांस खाद्य उत्पाद प्रदेश, 1973 के प्रधान प्रनुमिन्य/प्रनुमिन्य के नक़़ाकशण के लिए
प्रावद्धकता

1. प्रावद्धक का नाम श्रेणी पता

2. प्रवद्धकनिपेशक, विदेशक, स्वतंत्री, भारीदार, पाटिल के नाम

3. कारखाने का पता

4. कन्ने माल का खोत—

(क) क्या प्रजनन? ऐसे पश्चिमों से है जिनका वध कारखाने के परिसर में किया जाता है?

(ख) क्या रम प्रनुमिन्य सत्य वास्तवता से सीधे किया जाता है?

(ग) प्रत्येक लोगों से

5. ऐसे माल मास ज्ञान का बर्खान जिनका प्रावद्धक विनिमय करता चाहता है?

6. 8 मंटे की प्रावद्धक पारी की प्रतिपादित श्रेणी?

7. विद्वान प्रनुमिन्य सूत्र, वर्दि सोहर हो?

8. पूर्वतन वर्ष के दौरान विनिमय मांस खाद्य उत्पाद का कुल मूल्य?

में/इम मांस खाद्य उत्पाद प्रदेश, 1973 के सभी उपवर्षों का प्रनुमिन्य करने का पूर्वार्द्ध वांछन

में/इम मांस खाद्य उत्पाद प्रदेश, 1973 के उपवर्षों के प्रनुमिन्य देख प्रनुमिन्य पीम/प्रनुमिन्य के नक़ाकशण की पूंजी की वात का (केवल ............................ 60) का एक वजनाना पालन इसके लाभ नहीं करता है/कराते है?

स्थान: प्रावद्धक/प्रावद्धकों के हृदयामार

लाेराथः :
प्रकरण 'ख'
(खण्ड 6 देखिए)
कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)
विपणन और निरीक्षण विभाग
संसदीय
मास धारा उत्पाद शासन, 1973 के प्रधान वन्यजीव

प्रदेश सं. मांसादोडौग्या

1. अनुमतिविधारी का नाम धारा पता।
2. कारखाने का पता।

यह अनुमति पांस धारा उत्पाद शासन, 1973 के प्रधान धारा उनके उपवंशों के प्रधान मंजूर की गई है।

स्थान:
तारीख:
(प्रधान अधिकारी)
कृषि विभाग सचिवालय,

विभिन्नांकन धारा नवीकरण

| विभिन्नांकन मात्रा की प्रबंधन | विभिन्नांकन के लिए | संसद अनुमति वोट | प्रधान अनुमति वोट/ नवीनकरण प्रीमियर 60 के हस्ताक्षर |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| विभिन्नांकन | लाभ तथा धारा उत्पाद का वोट | प्रधान अनुमति वोट | प्रधान अनुमति वोट | प्रधान अनुमति वोट |

प्रकरण ‘ग’
(खण्ड 10 देखिए)
1. अनुमतिविधारी का नाम धारा पता।
2. कारखाने का पता।
3. मांसादोडौग्या अनुमति संस.।
4. प्रबंधक।
प्रयोक्त धनुषाधिकारी द्वारा उपयोक्त सारणी में लिए गए प्रबुद्ध में एक रजिस्टर निरीक्षण के लिए रक्षा आयोगः ।

हिन्दी धनुषाधिकारी

[भाग 9(2) देखिए]

किसी धनुषाधिकारी द्वारा धनुषाधिकार की जाने वाली स्थानता संबंधी धीर धन्य प्रेषित एवं

धनुषाधिकारी का कार्यान्वयन, धनुषाधिकारी की राय में, मांस खाद्य उत्पाद जैसे बच्चे या बच्चे के धनुषाधिकार के लिए हीक होगा जिसके लिए उन्होंने धनुषाधिकार मंत्री की गई है । स्वतंत्र स्वातंत्र्य संबंधी प्रेषित नीचे की दी गई है: --

1. कार्यान्वयन की सभी भाव हैनेशा गाफ, पर्यावरण रूप से प्रभावित धीर संबंधित रखे जाए जैसे धीर नियमन रूप से गाफ, राजकीय नियमन जिन्हें जाए गाफ धीर उन्होंने उद्देश्य दूर की जाएगी । फांच प्रमेय होगा धीर उन्होंने प्रतिठित दुराधी दूरी भी होगी । यथार्थता संभव, संकेत, रंग पुताई या पंद्रह प्रयोक्त बारह मास में कम के कम एक बार किया जाएगा। फांच, दीर्घता, भीतरी दूरी, विभाजन, भाग दर्शाए धीर प्रभाव जैसे स्वदेशी, नियमित बन्दु धीर नियम के होगी ताकि वे बासानी से धीर पूर्तित साफ किये जा सकें ।

2. विद्वंद्वियाँ, दर्शाए धीर प्रतिस्थापन के लिए उपयुक्त प्रभाव में मजबूत साफ होगी ताकि वे भव्य: भने हो सकें ।

3. नीचे की दे दे दे दे स्थायी होगी । फांच, जो प्रमेय होना चाहिए, सीमेंट का, शादौर का या पद्मार का होना चाहिए ।

以内文中的内容为：“धनुषाधिकारी का कार्यान्वयन, धनुषाधिकारी की राय में, मांस खाद्य उत्पाद जैसे बच्चे या बच्चे के धनुषाधिकार के लिए हीक होगा जिसके लिए उन्होंने धनुषाधिकार मंत्री की गई है । स्वतंत्र स्वातंत्र्य संबंधी प्रेषित नीचे की दी गई है: --

1. कार्यान्वयन की सभी भाव हैनेशा गाफ, पर्यावरण रूप से प्रभावित धीर संबंधित रखे जाए जैसे धीर नियमन रूप से गाफ, राजकीय नियमन जिन्हें जाए गाफ धीर उन्होंने उद्देश्य दूर की जाएगी । फांच प्रमेय होगा धीर उन्होंने प्रतिठित दुराधी दूरी भी होगी । यथार्थता संभव, संकेत, रंग पुताई या पंद्रह प्रयोक्त बारह मास में कम के कम एक बार किया जाएगा। फांच, दीर्घता, भीतरी दूरी, विभाजन, भाग दर्शाए धीर प्रभाव जैसे स्वदेशी, नियमित बन्दु धीर नियम के होगी ताकि वे बासानी से धीर पूर्तित साफ किये जा सकें ।

2. विद्वंद्वियाँ, दर्शाए धीर प्रतिस्थापन के लिए उपयुक्त प्रभाव में मजबूत साफ होगी ताकि वे भव्य: भने हो सकें ।

3. नीचे की दे दे दे दे स्थायी होगी । फांच, जो प्रमेय होना चाहिए, सीमेंट का, शादौर का या पद्मार का होना चाहिए ।
4. परिसर किसी स्वास्थ्यकर्म स्थान पर स्थित होने ।

5. सभी बाड़े, उन्मूल्य, भंगार प्रोर कारणों को जाने वाले सभी रास्ते हुमेशा साफ प्रोर स्वास्थ्यकर्म द्वारा रखे जाएँ ।

6. कारखाना इस प्रकार बनाया जाएगा प्रोर प्रानुरुपित किया जाना। जिसमें स्वास्थ्यकर्म उपलब्ध हो सके । मांस बाढ उत्पाद के तैयार करने या पैक करने के संबंध में सभी किसान एवं पुरूष स्वास्थ्यकर्म द्वारा रखे जाएँ । कारखाना परिषद का कोई भी भाग कम भी रखने प्रोर मोटे के प्रयोग नहीं दिया गया हो तक कि कारखाने से एक दीवाल द्वारा पृथक न कर दिया गया हो ।

7. यहाँ पर्याप्त जल-रिकार्ब प्रोर नवनारी अवस्थाएँ, हृदय प्रोर सभी नासिकों प्रोर प्रभ-नालियों उल्लिखित रूप से प्रोर स्थायी रूप से बनाई जाएँगी । यहाँ कूड़े के हटाने के लिए पर्याप्त जलपान होगी ।

8. मांस बाढ उत्पाद के निर्माण के लिए दर्शक मूलदण्ड किया गया उपकर प्रोर निर्माण के लिए प्रयोग नहीं दिया जाएँगे । ऐसे कमरे प्रोर कबाड़ जताए। बाढ़ उत्पाद का बनाएर दिया जाता है, प्रबाह उत्पादों के लिए कमरों प्रोर कमाएं तथा प्रालंबन द्वारा प्रदान होगी बारी जूनियर द्वारा प्रभावित होगी ।

9. सभी कारखानों में पर्याप्त शैलागार सुविधाएं होंगी ।

10. वे कमरे प्रोर कबाड़, जिनमें कोई मांस बाढ उत्पाद तैयार किया जाता है उसका बनाएर दिया जाता है धुल रहित प्रोर पर्याप्त उड़ान करने के कमरों, गोमालाओं, जलपानी कोदों, खमारे के गोदामों, बील बढ़ाने के कमरों प्रोर पतझुन बाड़ों से प्राने बारी सुनिश्चित नये प्रकार होंगे ।

11. कारखाने में महिलाओं, बुरी, चूहियों और शान्तकरण कोडों को न पाने देने के लिए हर समय दूरबाहिर बनान की जाएँगी । उन कमरों प्रोर कबाड़ में, जहाँ कोई बाढ़ उपर उड़ान हुआ हो या उड़ान का बनाएर दिया गया हो, किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के लिए प्रयोग निषिद्ध है । किसी भी गोदामों, कबाड़ों, जहाँ कबाड़ उत्पाद उड़ते हैं हों, उजागर या विवाहित उत्पाद बनाएर करने वाले प्रोर बैठे ही भारत में प्रानुरुपित करे प्रकार दिया गया ।

12. कुलों प्रोर विकास का प्रबेद प्रतिष्ठित है ।

13. कोई भी ऐसा प्रोर, भागान या रघु उपकर, जिसके प्रयोग से स्वास्थ्य के लिए निकार वारक संदर्भवता उपलब्ध होने की संभावना ही, मांस बाढ उत्पाद के तैयार करने, पैक रखने या भंगारकरण में प्रयोग नहीं किया जाएँगा । (यहाँ या पीटित के भागों पर हुमेशा पर्याप्त मात्रा में लटी होगी चाहिए तो कोई भी लाल या अलग लाल मांस बाढ उत्पाद के स्पष्टे में नहीं प्रायोगिक।)

14. निर्माण में प्रयुक्त जल पैक होगा प्रोर, यदि भागान इन्द्रधनुष की प्रौढ़ता की जाए तो उसका किसी मानववादित प्रयोग नहीं होगा रासायनिक प्रोर वैज्ञानिक गुणों पर निर्भर करने ही होगी । ऐसे विज्ञान का वर्तन निर्माण होगा नहीं किया जाएँगा ।
15. जहाँ कोई पाँच या उससे अधिक महिला या पुलिस कर्मचारी नियोजित हों वहाँ प्रत्येक महिला या पुलिस के लिए शीर्षावली धारा शाखा पालन की परम्परा में ऐसा किया जाएगा कि ऊपरों विनियमित किया जाए हो।

<table>
<thead>
<tr>
<th>कर्मचारियों की संख्या</th>
<th>शीर्षावली की संख्या</th>
<th>धारा शाखा पालन की संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25 से प्रतिवेदन न हो</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>25 से प्रतिवेदन हो</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>परन्तु 49 से प्रतिवेदन न हो</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>50 से प्रतिवेदन हो परन्तु 100 से प्रतिवेदन न हो</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>100 से ऊपर 100 से प्रतिवेदन हो</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

16. जब कमी पाक खुली प्रभाव पर किया जाए तो पुरुष और कालीय नियतने के लिए निम्नलिखित के व्यवस्था करनी होगी।

17(1) कोई भी व्यक्ति, जो संस्थान या संस्थायिक रोगों के विषय में कुछ नुकसान करने के लिए प्रयास कर रहा हो वह प्राधिकृत नहीं किया जाएगा। प्राधिकृत के कर्मचारियों को ऐसे प्रयास करने के लिए प्रत्येक प्राधिकृत व्रतमान प्रति वर्ष एक मास तक सुनिश्चित करने के लिए लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।

(2) करार दान के कर्मचारियों के बयां एक वर्ष एंडोरोफपुर के रोज़गों के टीके प्रोटो चेक के टीके लगाने होगे प्री प्रभाव प्राधिकृत निरीक्षण के लिए रखा जाएगा।

(3) महानगरीय के वाणिज्य में सभी कर्मचारियों की टीके लगाए जाने चाहिए।

18. उसके प्रस्तावना करने पर प्राधिकृत के अन्तर्गत कर्मचारियों को उच्च नमुना प्रश्न तारे, जो प्राधिकृत होते हैं, लिए जाएगे। प्रश्नमाल को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मचारी प्राथमिक अनुकूलक रूप से लिखित हो।

19. मास वास्तव उपयोग दैनिक करने के लिए योग्य किया गया मास, यदि उसका वर्ष कार्यकाल में नहीं किया गया है, तो उसके वर्ष कार्यकाल में सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित प्राधिकृत द्वारा इस सम्बन्ध में विनियमित किए गए प्रश्न तारे, जो प्राधिकृत होते हैं, निम्नलिखित किया जाएगा। यह अंक का प्रश्नावली से करार दान के लिए, वक्तव्यों के द्वारा धारा में प्राधिकृत प्रश्न तारे के साथ किया जाएगा। उसके प्राथमिक करने के लिए, शास्त्रीय कर्मचारियों के नाम सूची जाएगा कि उसके प्राथमिक करने घोर रेकार्य दान के अन्तर्गत कोई भी संदर्भ से जाना न हो।

20. करार दान के तारेज कर्मचारियों का प्रभाव मास दान उपयोग के प्रति प्रश्न तारे के प्राथमिक एक प्रश्नावली की व्यवस्था की जाएगी पीएच पर उसमें छापा धारा में प्राधिकृत प्रश्न तारे, जिनका प्राथमिक करने के लिए किया जाएगा।
तृतीय प्रानुप्रयोग

[खण्ड 8(3) देखिए]

इसे प्रानुप्रयोग धारा, जो पहले कारखाने में अन्य उपकरण का बहु भी करता है, प्रानुप्रयोग किये जाने को लेकर स्वास्थ्य संबंधी और परीक्षण के लिए फ़र्मित कर दिए जाने को निर्देश करता है, तथ्यानुसार धाराओं को प्रानुप्रयोग करें, परीक्षण भी --

1. कारखाने में संयोजन वधानालाल के अन्य और यह प्रानुप्रयोग के बीच पड़ोसी होने के जिस चरण में व्यवसाय धारा को निर्देशित समाधान रूप से लेकर अन्य अन्य प्रभावों के व्यवसाय के संबंध में सीमित नियमों के होने के संदर्भ में धारा धाराओं में हो जाएगा और धारा के बीच धारा में हो सकता है। बिना देखने के लाभ के, प्रानुप्रयोग धारा के प्रानुप्रयोग करें, परीक्षण होगा।

2. (1) वधानालाल में विभाग स्थल का एक संवहन बील, पशुपालिका, वधानाल, प्रानुप्रयोक्त स्थल और परीक्षण क्षेत्र होगा।

(2) संवहन धारा या विभाग स्थल में, पशुओं की रोक-बांध उनके समय और परीक्षण की सीमित होगी। ऐसे पशुओं को जिन पर सांरक्षणिक या सांरक्षणिक की इस कार्यों का संदर्भ हो पूरीक्षण धारा जाएगा और उनपर पूरक बांध में रखा जाएगा, उनमें भी पशु प्राणी पशुपालिका धारा विनाशन के लिए प्रवचन होगा। विभाग स्थल के उपर अन्य सुरक्षाकरक छपर होगा।

(3) रोक को समाधान-दोहाइ उन पशुओं की संख्या के लिए पड़ा होगी जिनका नया रखा जाना है।

3. प्रानुप्रयोग कराने में विभाग किसी से पशुओं के बाहर के लिए धारा बढ़ की संख्या विनाश के लिए व्यवसाय के पशुपालिका वधानालाल का जिनकी धारा धाराओं में जाएगी।

4. वधानालाल के दीर्घाकार के धारा का प्रानुप्रयोग धारा और उसके दो का धारा या बांध का प्रानुप्रयोग धारा समय बढ़कर छुपके धारा भरने में रखा जाए या ताकि इसमें निस्तिरत रूपों का भाग या इसे परिवर्तित या मत, जो उस पर गिर जाएगा बिना जाए, प्राकृतिक या अनूठी पदार्थों जो उनमें जा सकते हैं या उनमें जन्म रूप से जाए, के धारा को रोका जा सके। ऐसी वधानालाल के दो का धारा या बांध के अंतर, प्रानुप्रयोग का प्रानुप्रयोग या बांध, जून, सितम्बर और विनाशन के पहले दिन और से जिनके प्रानुप्रयोग धाराओं में जाएगा, धाराओं के धारा धाराओं की रोका जा सके।
5. यह सुनिश्चित कर लें चाहिए कि कुले, बिलियां या पत्ती वस्थ-शाल तक न पहुंच पाएं। कारखाने के बुले क्षेत्र तार की बाली से डके जाने ताकि नुदाबाहर पत्ती वष्णुवाणा या कारखाने तक न पहुंच पाएं।

6. यह मास को, जिसकी मांस वाच उपजाद निरीक्षक डाया वष्णुवाणा के परिसर के भीतर उपयुक्त प्रयोगादान में ध्यान परीक्षा की जाए। ध्यान रखने के लिए उपयुक्त ध्यान परीक्षा कराएं जाएगी।

7. वस्त्र की निकास प्राप्त होगी या वह भूगत होगी जिसमें प्रस्तावित हो साक्षर करने की सुविधा हो या उसमें इजास से पहल ऐसा पाहा हो जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान को से लाया जा सके।

8. संशोधन करने के लिए (जहां क्याही भी लागा हो), वस्त्र के लिए ध्यान ध्यान के साफ करने के लिए, ध्यान स्थान की व्यवस्था की जाएगी। जिसी भी पत्ती का वह किसी ध्यान पत्ती के सामने नहीं किया जाएगा। पत्ती-पत्ती की सफाई।

9. वे कमरे ध्यान ध्यान, जिनमें पत्तीकारता वह ध्यान पत्ती हो या जिसी उल्लच का प्रस्तावना या उसकी तैयार किया जाता हो, भाषा, बाष्प पत्ती नभी पत्ती पत्ती से व्यापक पत्ती से मुक्त रहे जाएंगे, ताकि सक्षमी कर सफाई की जा सके। यह वात उन कमरों ध्यान कारा के अपरी संरचना की भी भाषा होगी।

10. नियमों के अनुसार मांस के प्रस्तावना ध्यान परीक्षण के लिए उपयुक्त ध्यान परीक्षण स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

11. वष्णुवाणा में कार्य करने वाले पदार्थों के लिए ध्यान की तैयार। करने ध्यान परीक्षण के लिए प्रस्तावना किया। उसे दूसरे करणों में चार्ज करने के लिए प्रयोग किया। इसके लिए करने वाले करणों में रखने हें। साफ करने के लिए उपयुक्त मांस परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

12. निर्देश मांस के प्रस्तावना के लिए उपयुक्त मांस प्रस्तावना ध्यान से न की व्यवस्था की जाएगी। इस करण का बाहर निकालने का दाही प्रत्यक्ष होगा।

13. जब कभी साफ किया हुआ मांस, मांस ध्यान उल्लच तैयार करने के लिए प्रस्ताव न किया गया हों ध्यान उसका कुछ भाषा ध्यान प्रस्तावना के विना भंदार में रखा जाता हो। तो ऐसा प्रस्तावना ऐसे कमरे में किया जाएगा। जिसका तापमान 3.5°C से 10°C सेल्सियस हो।

14. पत्ती-पत्ती, ध्यान ध्यान, कार्यालयों, मांस सरकार व कमरों में सबी फर्श प्रस्तावना ध्यान न फिरने। बाही सामग्री के बने होंगे।

15. सीधे या छोटे के इस प्रकार सहिती किया जाएगा ध्यान उन पर चिन्ता की जाएगी ताकि संभाल, फलकी लगाना, पत्ती अमन ध्यान करने का हकदार होना कम किया जा सके।

16. ध्यान ध्यान में कार्य घटाओं के दौरान सबसे गम्भीर का निर्माण प्रदेश होना चाहिए।
17. वच-हालां में, कर्तव्याकाट, काटने के तबो और लाड़ूर्षों के निवास दुसरक प्रोर भिकट ऐसी सामग्री की होनी और ऐसी बनावट की होनी कि उनको आर्थिक रखा जा सके। भीमारा धातु या बना साफ की जा वकने वाली और टिकाऊ धातु के होने, जो संकरण घबरावी हों।

18. बधासला के भीतर पीछे चले जाएँ, कुर्सी बारे बधासला में प्रयोग किये गए बन्य-उपकरक ने विज्ञानक्रम के लिए, मुख्यालय स्तोन में उपयुक्त और पर्याय सुविधायों की व्यवस्था की जाएगी।

19. बधासला से, मुख्यालय भीम स्तोन पर, सब छिड़ड़ो, पंगडनियां, मल और प्राप्तिक को दस्तक करने के लिए, उपयुक्त बारे पर्याय उपलब्ध हो, जिन पर ठीक फट होने वाली दक्षता लगें हो, व्यवस्था की आगे बढ़ने उन्हें कार्यालयों से दूर के स्थान पर व्यवस्था करने के लिए जाने की व्यवस्था की जाएगी।

20. किसी बारे द्वारा गए पत्थर के साथ रखा गया, छिड़ड़बाँतियां, मल या वध प्राप्तिक और उद्योग प्रकाश, पत्थर, वाली और गोलोंसारित बधासला ने बने फिरे जाने के पत्थर: 8 छोटे के बीतर हैं जाने और यह ऐसी सीतार बारे, ऐसे सामग्री द्वारा किया जाएगा जिससे कि परिपक्व पर और व्यक्ति स्तोन पर न्यूसिया न हो। ऐसा प्रथम करना या पत्थर प्रयोग किये जाने के तुल्य पत्थर का भीली प्रकार से साफ किया जाएगा बारे जब यह वसूल प्रयोग नहीं किया जा रहा हो तब भी साफ रखा जाएगा।

21. बाल द्वारा प्रत्येक का हिस्सा बध-हाल में किसी भाग के भीतर भूमि पर रखना या रखना नहीं जाएगा। बध-हाल बारे बधासला के भीतर धोनी नहीं जाएगी। किसी बध-हाल में, बधासला के सम्पूर्ण के स्तोन के निवास जो यह उपलब्ध बारे प्रयोगों के लिए, ग्राम-परिसर है, काट बनाने, बारे-प्रयोगों को साफ करने, मल और वाद उपायों का निर्माण या हैरान करने, बारे के समाधान को साफ करने निकाल प्राय संगठन का कार्य, उस कार्य से निकाल जो बारे में पत्थर-बाल का शाफ़ करने में किया जाता है, करने को इतना नहीं हो जाएगा।

22. मरण पूर्व निरीक्षण —

(1) सभी पत्थरों को वध करने से पूर्व प्रवाह निरीक्षण किया जाएगा। बारे बाल के समय से काफ़ी समय पूर्व उनकी भरण पूर्व परीक्षा और निरीक्षण किया जाएगा।

(2) कोई भी पत्थर जो वध करने के प्रयोग के लिए बध-हाल में लाया गया है, मल और बाल उपलब्ध निरीक्षण की दर्शन समय के दिना बाल के से पत्थर बध-हाल में से नहीं है। जाने जाने के किसी पत्थर पर फित किया जाएगा। बाल के स्तोन बाल उपलब्ध निरीक्षण में खाने में सिंधु विशुद्ध किया जाएगा। भाले ऐसा पत्थर, देवता बाल उपलब्ध निरीक्षण द्वारा या उसके वैश्विक परीक्षण के भाषण "सिंधु" के रूप में विशुद्ध किया जाएगा प्राप्त विवाह कर जाएगा। धरातल प्राप्त निरीक्षण के कारण बाल के द्वारा द्वारा या निरीक्षण नहीं जाएगा।

(3) ऐसा पत्थर, जिसमें मरण पूर्व निरीक्षण के समय किसी रोग के बिल्कुल पाए जाते हैं, जिसमें उसकी रोग भरण परीक्षा पर प्रचारित निरीक्षण से बाल, "निरीक्षण" के रूप में विशुद्ध किया जाएगा बाल भरण कर दिया जाएगा।
(4) यह पन्न, जो मरण पूर्व निरीक्षण पर "संदिग्ध" के रूप में प्रोचित किया गया है किन्तु साधारणतः ऐसा कोई रोग या हालात नहीं दर्शाता जिसके पार पूर्व के सिद्ध पहुंचान नहीं है निप्पोयॉज की जाए, यहां "संदिग्ध" पहुंचान तब तक बनाए रखेगा जब तक कि इसकी रास और समी पशुओं का निरीक्षण मात्र भाग उत्तराद निरीक्षण द्वारा प्रत्याशित कर से न कर लिया जाए।

(5) स्वयं सरकार की हालत में किसी भी पन्न का वध करने की चाहत नहीं हो जाएगी। कोई भी संदिग्ध पन्न तब तक वध नहीं किया जाएगा जब तक कि उस दिन वध किया जाने वाले सभी पशुओं का वध न कर लिया जाए। वे सभी पन्न, जो मरण पूर्व निरीक्षण पर रेल-रेड कीमारी प्रभुति फसाना, हड़य, प्रचुर दंकार या किसी प्रति संचारी रोग के लक्षण रहना हो, "निप्पोयॉज" के रूप में चिह्नित किया जाएगा और उसका व्यापन नीचे के कार्यालय (8) में खत्मित उपकरणों के प्रयुक्त किया जाएगा।

(6) वे पन्न, जो वध के लिए प्रस्तुत किये गए हैं और कारावास के परिसर पर नए रोग के कारण मरणवार्गों में पाए जाए, "निप्पोयॉज" के रूप में चिह्नित किये जाएगे और उसका व्यापन "निप्पोयॉज" पशुओं के लिए यथा उत्तम संभव रीति से किया जाएगा।

(7) ऐसा प्रयुक्त पन्न, जिसमें परीक्षा करने पर कीमारी के लक्षण पाए जाए या जिस पर कीमारी होने का संदेह हो, या वे पन्न, जो "संदिग्ध" चिह्नित किए गए हैं, ऐसे विवेक बाहर में उपचार के लिए तुरंत हटाए जाएगे और वहां इसी प्रकार के लिए जिन्हीं निरीक्षण करने के लिए, आवश्यक समझ कि यह पन्न कीमारी है या नहीं, संचित रूप से रखे जाएगे।

(8) वे सभी पन्न, जो मरण पूर्व निरीक्षण पर "निप्पोयॉज" चिह्नित कर दिए गए हैं, "निप्पोयॉज" के रूप में चिह्नित किये जाएगे और वहां यथा संभव तब तक रखे जाएगे। ऐसे पन्नों का उपचार करने के लिए या जाने करने के लिए नहीं, जाए जाएगे और न ही वे रखे जाएंगे किसी कारण: इन कारण में दे जाए जाएगे और कारण के लिए प्रयुक्त किया जाना है किन्तु उसका व्यापन निप्पोयॉज पशुओं के लिए परिचय दर्ज करने के लिए वर्ष 12 के उपरांत 24 के उपरांत 12 से 15 में यथा उत्तम संभव रीति से किया जाएगा।

(9) निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बातें नोट की जाएगी और उनका प्रमाण रखा जाएगा:

(क) दूक में प्रधान भरोसे, उसे तेज चलाने या प्रायोगिक स्थल द्वारा पशुओं के प्रति पूर्ता का संबंध,

(ख) रोग के में नक्षत्र, जो पन्न के साधारण स्थान को प्रभावित करूँ या मांस के प्रबंधित करूँ,

(ग) किसी सांस्कृतिक, या संक्रामक रोग की उपर्युक्त या ऐसे पशुओं के मांस का उपयोग करने या संक्रामक दंकार होने वाला रोग या लक्षण जिनसे यह पता चलता हो कि रोग बड़े रहा हो; और
(७) फिस्ट, जिस, रंग, पायः प्रायः दूरीकर तापक। विशेष रूप से निम्न- 
विलिक की ग्राह थ्यां दिया जाएगा।

(८) पीपल की दंगा, विशेष रूप से दुर्रेवता;

(९) खड़े होने और चलने का तरीका;

(१०) व्यातिक्रम के प्रति प्रतिकृतिया;

(११) बालवन, बाल धार बालों की दंगा;

(१२) पाटल प्राणी (पीठ, सीं, मल्लार, जूनाली प्रायः गीत की क्वालिटी 
प्रायः प्रायः प्रमाण; धारा)

(१३) ग्राहण प्राणी (तालाखांद प्रायः व्यापक)

23. मामूली वध—वध की लिंगलिखित पठन पद्धति मान्यता संपन्नी जाएगी:

(१) सभी पशुपतियों को वध करते से पूर्व एक चोट से, भयभीत करते विचू में तके 
से या सरपंखी या किसी दूसर साधन से निराहोर प्रायः संजाहीन किया 
जाना है।

(२) दूसरीं को मोकदर चीज भाग कर मारने के पूर्व विचू में तके से या उनको 
का बान मादामाय पृथ्वी के क्षेत्र में रख कर या उनमें से पुछाड़ कर संजाहीन 
किया जाएगा। इस पद्धतियों के लिए सुविधायों के न होने पर दूसरीं को 
वध-बोल्ट व्यापक की विलिक के संजाहीन किया जाएगा।

(३) ग्राहण पक्षीय पशुपतियों के वध-बोल्ट व्यापक से संजाहीन किया जाएगा तकि 
उनका वध करने, सुविधा वध करने, लटकाने या प्रयास करने के पूर्व उनको 
संजाहीन किया जा सके।

24. मरणोत्तर निरीक्षण—

(१) बध किए गए सभी पशुपतियों के बधीं प्रायः उनके भागों की, उनको वध करने 
के बीच पशुपतियाँ साधनवाली पृथ्वी धार, विद्युत मरणोत्तर परीक्षण धार 
निरीक्षण किया जाएगा। मार्ग धार उपनिवेशों को तैयार करने में प्रभावित किये जाने 
वाले पशु-पक्षीयों के सभी प्रायः धार भागों धार रखत को इसी दृष्टि से रखा 
जाएगा। इसलिए मरणोत्तर परीक्षण के कुछ ही तक उनकी पहुँच बनाई 
रखी जा सके। धार्मिक पशुपतियों के निरीक्षण किया जाएगा और 
उनकी पहुँच जा सके।

(२) प्रत्येक पशु-धार को, जिसमें उसके विचू में किए गए धार धार धार धार धार धार 
अन्तिम है, जिसमें विचू ऐसी धार धार का साधन भिड़िया हो कि वहुँ भाग को या उसके 
किसी भाग को या किसी धार को मान्यता उपयोग के लिए धारण व्या देकी 
धार, उस कारण से बाद में निरीक्षण करना प्रभावित हो, मार्ग धार उप 
निरीक्षण हारा रख-किया जाएगा। ऐसे पशु-धार की पहुँच, जिसके 
निरीक्षण उसके विचू में भाग धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार 
अन्तिम है, तब तक रखी जाएगी जब तक 
उसका धारण निरीक्षण पूरा न हो जाए। रखे गए, पशु-धार को,
उनके विभिन्न भागों पौर घंटों को तब तक रखा जाएगा जब तक प्रतिष्ठा न जारी हो। 

(3) किसी पशु-शार या पशुभाग के किसी भाग के तंतुओं में शुद्ध से हवा नहीं भरी जाएगी।

(4) प्रत्येक पशु-शार या उसके किसी भाग पर जो मानवीय उपयोग के लिए प्रयोग नहीं हो।

(5) उन पशुओं, उनके भाग या पशुभाग उस दिन के प्रति का कि उसके पूर्व, जिसका द्वारा उस पौर (11), (12) और (13) के अनुसार उन पर ‘निरीक्षित ब्रह्म प्रयोग’ निरीक्षित किया गया हो, व्यवस्था के सम्बन्ध

(6) उन पशुओं, उनके भाग या पशुभाग के लिए प्रति प्रयोग के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य भाग योगी हों, ‘निरीक्षित ब्रह्म प्रयोग’ निरीक्षित किया जाएगा।

(7) वे पशु-शार, जिनके बारे में प्रत्येक निरीक्षण के पूर्व भ्राता चल जाए किन व्यवस्था के प्रभावित हों।

(8) सामरी के संबंध से अधिक बाबा-बाबा का कोई भाग, जिसमें उपस्थता, कॉन्ट्रोलर्स के बुने और लोगों, प्राति निरीक्षित हो, तबत साफ किया जाएगा और उसकी पूरीत: रोकना निरीक्षित किया जाएगा।

(9) निरीक्षण के समय जब ठीक बाबा-बाबा के कारण पशु-शार के एक भाग को प्रयोग

(10) अनुसार निरीक्षण निरीक्षित रूप में किया जाएगा और उसके पशु-शार के सभी भाग, प्रेम, प्रभावों, तत्परता, प्रत्येक और सभी प्रयोग की उपस्थिति सामान्य होंगी।

(11) अनुसार निरीक्षण निरीक्षित नियमों के अनुसार के लिए प्रभावित साधारण नियमों के अनुसार
प्रारंभ हुए ऐसे विषय प्रबंधन के प्रमाण जो प्रमुख अभियंताओं द्वारा समय समय पर जारी किए गए हों, किया जाएगा।

(12) सभी विषयों पर जब-जब, उनके घरों या भागों को, मांस खाद उद्यान निदेशक की उपस्थिति में लिखे के प्रमाणी में काट कर प्रारंभ प्रपक्षित कार्यालय के प्रमाण, नगरनिवासी संस्थान का प्रमाण, निदेशक द्वारा किया जाएगा, जब तक कि ऐसे पशु-शाखा उनके घरों या भागों को, निम्न उपरेता (13) के संबंधी व्यवस्थापित परियोजना के लिए निर्देशित कर दिया गया हो।

(13) यह पशु-शाखा, उनके घरों या भागों का, जो ग्राम के कारण निर्देशित हो गए हैं, व्यवस्था पूर्ववर्ती प्राप्ति में विभिन्न रूपों में और स्थानीय अभियंताओं के अनुसार या हो (i) पूर्वकाल: भासीकरण या द्वारा (ii) विविध विधानों के साथ विकिरण द्वारा किया जाएगा।

(14) निर्देशित पशु-शाखा, उनके घरों या भागों को मांस खाद, उद्यान निदेशक के संबंधी व्यवस्थाकृत के संबंधी नवनिर्माण के अनुसार किया जाएगा।

(15) यदि मांस खाद उद्यान निदेशक की राय में पशु-शाखा, उनके घरों या भागों को प्रारंभ विनिर्मित परीक्षण से लिये रखा हो तो उस पशु-शाखा, उनके साथविनिर्मित खंड या भाग को तब तक निर्देशित नहीं किया जाएगा। जब तक मांस खाद उद्यान निदेशक द्वारा विनिर्मित के से उनकी परीक्षा उपूर्वी नहीं कर ती जाती और उनके द्वारा विबंधन तथा उनकी त्वरण नहीं कर दिया जाता। जब उस पशु-शाखा का विनिर्मित परीक्षण के लिए रोक रखा हो तो उस पशु-शाखा, उनके विनिर्मित खंड या भाग पर “रोक दी गई” विशेष निर्देश किया जाएगा। यदि खंड के निर्देशित के समय पशु-शाखा, उनके कोई खंड या भाग मानवीय स्वास्थ्य के लिए, ध्वस्तापन प्रतिकृत प्रारंभ किया जाए तो ऐसा पशु-शाखा, उनके कोई खंड या भाग पर मांस खाद उद्यान निदेशक द्वारा “निर्माण” विशेष निर्देश कर दिया जाएगा। पूर्ववर्ती प्राप्ति में विनिर्मित रूप से उनका अनुसार उनका अनुसार व्यवहार द्वारा किया जाएगा।

चुनौती प्रमुखों

[खण्ड 9(4) वेबसाइट]

मांस खाद उद्यानों के प्राप्ति के पैक करने, विनिर्मित करने प्रारंभ लगाते की बारह मानों को जाने वाती प्रेमी करें।

1. मांस खाद उद्यान ऐसे उपयुक्त प्राप्ति में पैक किये जाएंगे, जो नीचे विनिर्मित किये गए हैं:

(क) सभी खादमं दुकान वृद्धार्थक खंड या सुधार किये जाएँगे।

(ख) उपयुक्त किनारे के संबंधी की निर्देशित होने, उनके विनिर्मित विनिर्मित किये जाएँगे। दिवसों के विनिर्मित निर्देशित की जाएँगी; ये भारत के के पृथ्वी विनिर्मित निर्माण किये जाएँगे। प्रयोग के गई पात्रा “सल्फर प्रतिशिधि” होगी घर स्थाई या नमकीन भागों में प्रसारित होगी।
(२) सुभाष का लक्ष्य गांधी भारत के लिए प्रयोग किए गए विनोभ के स्वभाव गांधी हैं। विचारियों के भाव व्यक्ति का वेवया जानने या उसे बताने से पूर्व नकसतिक बिचार का भाग भरने से प्रस्तावित किया जाएगा।

(३) विचार का बाहरी भाषा भी चिन्ता, विचार, लिखने और प्रतीयमान विश्वसनीय होना चाहिए।

(४) विचार प्राप्त के लिए प्रयोग की गई बीतते होते ही श्रद्धा प्रचार हुए होने और प्रभाव मुद्रित किए जाने योग्य होने चाहिए जाएगा।

2. प्रभाव करने की सामग्री साफ़ होनी होगी और उन्हें प्रतिकूल उद्देश्य के संदर्भ के रूप में साफ़ और स्वाभाविक रूप से भंडार में रखा जाएगा।

3. प्रभाव, मुद्रित भाषाओं में प्रयोग किए गए मानव या उद्देश्य को विलोटने के लिए साफ़ और स्वाभाविक रूप से भंडार में रखा जाएगा।

4. प्रयोग जल्द से मिल कोई भी जल्द विचार मुद्रित भाषा को बनाने या ठंडा करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

5. प्रसंस्करण के प्रभाव भाषाओं एवं रूपरेखा संबंध में समाज के लिए प्रतिकूल उद्देश्य को संदर्भ में बचाना जा सके। वेबसाइट, जाल और विचार देखने के द्वारा अपने लक्ष्यों और दायित्वों के माध्यम से हुकूमत रखे जाएगे।

6. प्रसंस्करण भगवान-मुद्रित भाषाओं का निरीक्षण किया जाएगा। तत्काल नुकसान बाले भाषाओं का अध्ययन किया जा सके।

7. प्रत्येक विचारिता भाषाओं के अध्ययन विचारों के प्रतिनिधित्व के इस्तेमाल के लिए प्रयोग सुधिया की जा सकता है।

8. विचारिता, ऐसे मान से भाषा, जिसका पहले ही निरीक्षण किया दुर्भाग्य है और उसे पात किया जा चुका है, मानस या उद्देश्य प्रमाणों से मरे प्रत्येक भाषा को प्रत्येक करने के प्रभाव के उद्देश्य पर समृद्धित लेखन दृष्टि उपेक्षा नहीं किया जाएगा।

9. हमें लेखन के नघनों का उन्हें प्रयोग करने से पूर्व बन्दूकत्व प्रभावितारी के प्रस्तुत सक्षम तथ्यों नहीं।

10. लेखन पर निर्देशित विचारिता स्थापत्य: निरीक्षण की जाएगी, प्रयोगः—

(२) उद्देश्य का नाम।

(३) प्रभाव करने के लिए प्रयोग विचार-वेतन का छुट्टा भारत या परिस्थित।

(४) विचारितार का नाम और विचारिता का स्थाण।

(५) वह भाषाएँ प्रत्यावर्तक रूप से भिड़ियों के प्रभाव विचारिता का रंग विचारिता के प्रभाव।

(६) उत्तम संवाद और विचारिता का प्रभाव।
11. निसी भी मांस खाने उत्तरार्द्ध में नीचे की शारीरि के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट कोई स्थापित नहीं होगा।

<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>विपेरै गाँव का नाम</th>
<th>भाग भरत दस वाक्य भार के प्रति नुमसार</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ठीमा</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>तांबा</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>पाराम लिफ</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>दिग्न</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>बजस्तान</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>